Seventeenth Loksabha

>

Title: Presentation of the 2nd, 3rd and 4th Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2020-2021) के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:

(1) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वियन' विषय के बारे में समिति का दूसरा प्रतिवेदन ।

(2) संचार मंत्रालय)दूरसंचार विभाग (से संबंधित'भारत संचार निगम लिमिटेड के विशेष संदर्भ में सरकारी सेवाओं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों में निजीकरण, बाह्य स्रोतों से कार्य और संविदात्मक रोजगार के आलोक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु अर्थोपाय' विषय के बारे में समिति का तीसरा प्रतिवेदन ।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'प्रसार भारती के विशेष संदर्भ में सरकारी सेवाओं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों में निजीकरण, बाह्य स्रोतो से कार्य और संविदात्मक रोजगार के आलोक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु अर्थोपाय' विषय के बारे में समिति का चौथा प्रतिवेदन ।